सचिका स0–7 / विविध–28–30 / 2023 - 256 (7B)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण भा०प्र०से०
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

द्वारा:– **आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।**

पटना, दिनांक– 15 / 06 / 2026

विषय:– **राज्य के सभी सदर अस्पतालों में मरीजों एवं उनके परिजनों के उपयोग हेतु शौचालय तथा स्नानागार के दैनिक रख–रखाव एवं सफाई कार्यों से संबंधित विपत्रों के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 (जनवरी, 2026 से मार्च 2026 तक) की अवधि के लिए रू० 5,74,47,986 / –(रूपये पाँच करोड़ चौहत्तर लाख सैंतालिस हजार नौ सौ छियासी) मात्र एवं वित्तीय वर्ष 2026–27 (अप्रैल, 2026 से मार्च, 2027 तक) की अवधि के लिए 23,69,35,044 / –(रुपये तेईस करोड़ उनहत्तर लाख पैंतीस हजार चौवालीस) मात्र की माँग के आलोक में प्रथम किस्त के रूप में राशि रू० 3,00,00,000 / –(रूपये तीन करोड़) मात्र की व्यय निमित्त विमुक्ति की स्वीकृति।**

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय संकल्प सख्या–546(1), दिनांक–26 07.2023 द्वारा राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों, अतिविशिष्ट अस्पतालों एवं सदर अस्पतालों में मरीजो एवं उनके परिजनो के उपयोग हेतु उपलब्ध शौचालय की साफ–सफाई एव रख–रखाव मानक के अनुरूप और गुणवत्तापूर्ण ढंग से करने के उद्देश्य से इन चिकित्सा सस्थानों में शौचालय तथा स्नानागार के दैनिक रख–रखाव हेतु सुलभ इटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गनाईजेशन, पटना को मनोनयन के आधार पर कार्य का आवंटन किया गया है।

2– उक्त संकल्प के आलोक मे राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार एवं सुलभ इन्टरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गनाईजेशन, पटना के मध्य समझौता ज्ञापन किया गया है, जिसके आलोक मे राज्य स्वास्थ्य समिति के पत्रांक–938, दिनांक–20 05 2026 द्वारा राज्य के सभी सदर अस्पतालों मे मरीजो एवं उनके परिजनो के उपयोग हेतु शौचालय तथा स्नानागार के दैनिक रख–रखाव एवं सफाई कार्यो से सबंधित विपत्रो के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 (जनवरी, 2026 से मार्च 2026 तक) की अवधि के लिए रू० 5,74,47,986 / –(रूपये पाँच करोड चौहत्तर लाख सैंतालिस हजार नौ सौ छियासी) मात्र एवं वित्तीय वर्ष 2026–27 (अप्रैल, 2026 से मार्च, 2027 तक) की अवधि के लिए 23,69,35,044 / –(रुपये तेईस करोड उनहत्तर लाख पैंतीस हजार चौवालीस) मात्र की माँग के आलोक में प्रथम किस्त के रूप में राशि रू० 3,00,00,000 / –(रूपये तीन करोड़) मात्र की व्यय निमित्त विमुक्ति की स्वीकृति इस शर्त्त के साथ प्रदान की जाती है कि इसका व्यय बकाया भुगतान के रूप मे एक पखवारा के अन्दर विहित प्रक्रियानुसार कर लिया जाएगा।

3– इस राशि की निकासी माग सख्या–20 अन्तर्गत मुख्य व्यय शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ–एलोपैथी, लघु शीर्ष–110–अस्पताल तथा औषधालय, उपशीर्ष–0019–रोगी कल्याण समितियों हेतु, विपत्र कोड–20–2210011100019 के अन्तर्गत सहायक अनुदान–गैर वेतन (31–06) मद मे उपबंधित राशि से किया जायेगा।

4– इस राशि के निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव–सह–निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना तथा नियत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होगे।

5– अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी0टी0सी0 फॉर्म–46 मे तैयार विपत्र के माध्यम से राशि को नगद नहीं बल्कि खाता अंतरण के माध्यम से राज्य स्वास्थ्य समिति, पटना को उपलब्ध करायेंगे, जो उक्त राशि को पी0एल0 एकाउन्ट सं0–PBBPLA011 विपत्र कोड–00-8448001200027-0001 के अन्तर्गत ledger ID--------------मे जमा कर राशि का खर्च विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए करेंगे।

6– राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार यह सुनिश्चित हो लेंगे कि दैनिक रख–रखाव व सफाई से संबंधित कार्य गुणवत्तापूर्ण, विभागीय संकल्प व MoU में अंतर्निहित प्रावधानों के अनुरूप है। तदोपरान्त राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार वित्तीय नियमों का अनुपालन करते हुए राशि सुलभ इन्टरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गनाईजेशन, पटना को उपलब्ध करायेंगे।

7– राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार वित्त विभाग के परिपत्र सं0–8599, दिनांक–01.10.2015 के आलोक में धन ऋण ज्ञापन उपयोगिता प्रमाण पत्र ससमय विधिवत् महालेखाकार, बिहार को उपलब्ध करायेंगे। साथ ही, बिहार वित्तीय नियमावली के नियम–341 के अनुरूप अकेक्षित लेखा विवरणी उपलब्ध कराने की भी अनिवार्यता रहेगी ।

8– यह व्ययादेश वित्त विभागीय परिपत्र सं0–2561/वि0(2) दिनांक–17.04.1998, 2419/वि0(2) दिनांक–05.04.2007, 8593/वि0(2) दिनांक–27.11.2007, 96/वि0(2) दिनांक–03.01.2008, 3923/वि0(2) दिनांक–09.04.2010 एव 12888/वि०, दिनांक–03.12.2024 के आलोक मे निर्गत किया जा रहा है।

9– प्रस्ताव एवं प्रारूप मे सचिव, स्वास्थ्य विभाग का अनुमोदन प्राप्त है ।

10– प्रारूप में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं०–7/विविध–28–30/2023 के पृष्ठ–74/टि० पर प्राप्त है।

11– राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जाएगी ।

विश्वासभाजन,

(शंभु शरण)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–7/विविध–28–30/2023–956 (7B)/स्वा0, पटना, दिनांक–15/06/2026

प्रतिलिपि– वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना/प्रबध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाये एवं आधारभूत सरचना निगम लि०, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–अवर सचिव–सह–निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–माननीय मत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–7बी एव सहायक प्रशाखा पदाधिकारी/लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग/ आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को अतिरिक्त प्रतियो के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव